

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 1200

पटना, दिनांक:- 12/6/25

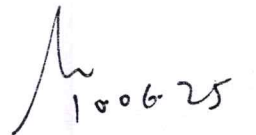
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर्मचारियों के वेतन से काटे गए TDS की राशि आयकर विभाग में जमा नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-478, दिनांक-24.02.2025 द्वारा श्री राजीव रंजन लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुये अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रिंस कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

02. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-शून्य, दिनांक-29.04.2025 द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री लाल के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में उन्हें जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व में विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापन के दौरान तत्कालीन संयुक्त सचिव के साथ संयुक्त रूप से उक्त मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है, इसीलिए इस मामले में जाँच प्रभावित होने की संभावना है। इस हेतु उनके द्वारा स्वयं को जाँच संचालन पदाधिकारी के कार्य से मुक्त करने अथवा मार्गदर्शन प्रदान करने के अनुरोध किया गया है।

04. श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुरोध के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत श्री लाल के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री नित्यानन्द प्रसाद, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को नया जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

05. विभागीय संकल्प संख्या-478, दिनांक-24.02.2025 में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


10.06.25

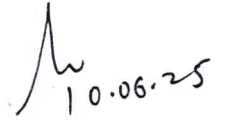
✓
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

अर्ज

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 1200

पटना, दिनांक- 12/6/25

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

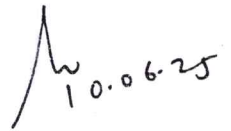
 10.06.25

✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 1200

पटना, दिनांक- 12/6/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

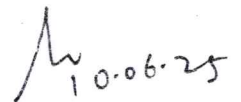
 10.06.25

✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 1200

पटना, दिनांक- 12/6/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)/श्री प्रिंस कुमार, कार्यपालक अभियंता(असैनिक)-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/श्री राजीव रंजन लाल, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/विभागीय आई. टी. मैनेजर को वेबसईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 10.06.25

✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

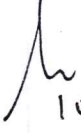


ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 1200

पटना, दिनांक- 12/6/25

प्रतिलिपि:-श्री नित्यानन्द प्रसाद, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)-
सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को
अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।


10.06-25

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव।

उक्त
10-6-25